


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 402] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 1995/आश्विन 7, 1917
No. 402] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 1995/ASVINA 7, 1917

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1995

सां० कां० नि० 672 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना (दावों पर कार्रवाई) अधिनियम, 1985 (1985 की धारा 21) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एस्० बी० साक्रिकर को 15 सितम्बर, 1995 (अपराहन) से दो वर्ष की अवधि के लिए भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना के पीड़ितों के कल्याण के लिए समवर्ती प्रभार सहित आयुक्त के वर्तमान पद पर नियुक्त करती है।

[सं० 21/27/95- भोपाल सेल]

बी० डी० शिवानी, डेस्क अधिकारी (भोपाल)

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 1995

G.S.R. 672 (E).-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985 (21 of 1985), the Central Government hereby appoints Justice Shri S. B. Sakrikar, sitting judge of the High Court of Madhya Pradesh to hold concurrent charge of the post of Commissioner for the welfare of the victims of Bhopal gas leak disaster, for a period of two years with effect on and from the 15th September, 1995 (afternoon).

[No. 21/27/95-B. Cell]

B. D. SHIVANI, Desk Officer (Bhopal)